भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1254
28.06.2019 को उत्तर के लिए

वन क्षेत्रों का संरक्षण

1254. श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वनों को खनन से बचाने या उनका अवैध खनन से संरक्षण करने के संबंध में वन क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए क्या तरीके अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने यह निर्धारित करने के लिए कोई नया वन-सर्वेक्षण किया है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान में हरित क्षेत्र के क्षेत्रफल सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) वन क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से पृथक करने के लिए सामान्यत: उपयुक्त बिंदुओं पर स्थायी चारदीवारी खंभे सृजित करके सीमांकित किया जाता है। तथापि, वन क्षेत्रों में खनन के लिए अनुमोदन देते समय निरपवाद रूप से निम्नलिखित शर्तों को शामिल करते हुए अतिरिक्त सावधानी बरती जाती है :

(i) परियोजना क्षेत्र, चार फुट ऊंचे आरसीसी खंभों का प्रयोग करते हुए, परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकित किया जाएगा और प्रत्येक खंभे पर आगे पीछे क्रम संख्या और दो सन्निकट खंभों के बीच की दूरी अंकित की जाएगी।

(ii) सुरक्षा जोन क्षेत्र (खनन पट्टा क्षेत्र की बाहरी चारदीवारी के साथ-साथ 7.5 मीटर स्ट्रिप) की बाड़ लगाने, सुरक्षा और पुन:बहाली का कार्य परियोजना लागत पर किया जाएगा।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने राज्यों में किए गए वृक्षारोपण की विद्यमानता का मूल्यांकन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। तथापि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन का अधीनस्थ कार्यालय भारतीय वन सर्वेक्षण, भारत के वनावरण का मूल्यांकन करने के लिए दो वर्षों में एक बार वन सर्वेक्षण करता है और भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) प्रकाशित करता है जिसमें देश के वनावरण से संबंधित विभिन्न आंकड़े दर्शाए जाते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2017 के नवीनतम अनुमान के अनुसार वन और वृक्षावरण के अंतर्गत 80.20 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.39% है।

*****